UPFR010017512026

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–02/

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट) फर्रूखाबाद।

पीठासीनः– तरूण कुमार सिंह प्रथम.....एच०जे०एस० UP6264

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या– 1006/2026

अवनीश कुमार बनाम **पवनेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ छुट्टन**

धारा – 173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना – कमालगंज

जनपद – फर्रूखाबाद

दिनांक: 16.07.2026

1. पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत सशपथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० पर प्रार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

2. प्रार्थी/आवेदक अवनीश कुमार द्वारा सशपथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी अवनीश कुमार दिनांक 13.04.2026 को समय करीब 11 बजे दिन अपनी मक्का की फसल की सिंचाई कर रहा था। सिचाई करते समय कच्ची नाली का कुछ पानी कट कर पवनेन्द्र प्रताप सिह उर्फ छुटट्न पुत्र चन्द्रप्रकाश सिह निवासी नगला जोध के खाली खेत में चला गया जिससे उनकी कोई क्षति नही हुई फिर भी पवनेन्द्र प्रताप सिह जो कि बहुत ही दबंग व गुंडा किस्म का व्यक्ति है, ने प्रार्थी के साथ गाली गलौज किया और जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया। जब प्रार्थी ने गालियां देने से मना किया तो प्रार्थी की गर्दन पकड़कर खेत में गिरा लिया और कहा कि साले चमरा बहुत दिमाग खराब हो गये है लात घूंसो से मारा पीटा। चीख पुकार पर आस पास के खेतों में मौजूद धर्मेन्द्र पुत्र गंगाराम, अमित कुमार पुत्र कैलाशचन्द्र आदि लोगों के आ जाने पर गंदी–गंदी मां–बहन की व जातिसूचक गालियां देते हुये यह कहते हुये चले गये कि साले कहीं शिकायत की तो जान से मार देंगे। प्रार्थी काफी घबराया और भयभीत है। प्रार्थी के साथ कभी भी कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती हैं मारपीट में प्रार्थी के शरीर में चोटे आयीं हैं। प्रार्थी घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने गया परन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी, न ही चोटों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। तब प्रार्थी ने दिनांक 15.04.2026 को एक प्रार्थनापत्र पंजीकृत डाक से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, मा० अध्यक्ष महोदय, अनु०जा०/ अनु०ज०जा०अत्या०निवा० आयोग लखनऊ तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद को दिया, परन्तु फिर भी आज तक कोई कार्यवाही न होने पर माननीय न्यायालय में प्रार्थनापत्र

Digitally signed by TARUN KUMAR SINGH
Date: 2026.07.16 14:46:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधिवत विवेचना किये जाने हेतु थानाध्यक्ष कमालगंज को आदेशित करने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थी/आवेदक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद एवं अध्यक्ष, अनु०जा०/अनु०ज०जा०अत्या०निवा० आयोग लखनऊ को प्रेषित प्रार्थनापत्र दिनांकित 15.04.2026 की प्रति मय रजिस्ट्री रसीद, जनसुनवाई, समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ संख्या 40015926006759 की प्रति, चिकित्सीय परीक्षण आख्या दिनांकित 15.04.2026 एवं आवेदक के आधार कार्ड व जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

4. इस सम्बन्ध में थाना कमालगंज से जाँच आख्या आहूत की गयी। जिस पर थानाध्यक्ष, कमालगंज, जनपद फर्रूखाबाद द्वारा आख्या दिनांकित 03.05.2026 इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि आवेदक अवनीश द्वारा दिये गये अन्तर्गत धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. प्रार्थना पत्र की जांच की गयी तो वाक्यात इस प्रकार पाये गये कि आवेदक द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.04.2026 को समय करीब 11 बजे मै अपनी मक्का की फसल में पानी लगा रहा था तो कटा कुछ पानी पवनेन्द्र के खेत में चला गया था, जिस कारण पवनेन्द्र के कटे हुए गेहूं पानी में भीग गये थे, जिस वजह से पवनेन्द्र व आवेदक के परिवार के बीच विवाद हुआ था, जिसमें थाना हाजा पर पवनेन्द्र द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर मु.अ.सं. 99/2026 धारा 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. पंजीकृत हुआ था। जिसमें आवेदक अवनीश, अंकित, पंडित नामजद अभियुक्त है।

5. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख एवं थाना कमालगंज से प्राप्त जांच आख्या का अवलोकन किया गया।

आवेदक का कथन है कि दिनांक 13.04.2026 को समय लगभग 11:00 बजे सिंचाई के दौरान पानी का कुछ भाग विपक्षी पवनेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ छुट्टन के खेत में चला गया, जिससे क्षुब्ध होकर विपक्षी ने प्रार्थी के साथ गाली–गलौज की, जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। यह भी कथन किया गया है कि सूचना देने के बावजूद भी थाना पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं की गई तथा चिकित्सीय परीक्षण भी नहीं कराया गया। प्रार्थी द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रेषित प्रार्थना–पत्र एवं जनसुनवाई पोर्टल से संबंधित अभिलेख भी प्रस्तुत किए गए हैं।

थाना कमालगंज से प्राप्त जांच आख्या दिनांक 03.05.2026 से यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 13.04.2026 की घटना के संबंध में विपक्षी पवनेन्द्र प्रताप सिंह की तहरीर पर पूर्व से ही मु.अ.सं. 99/2026, धारा 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. पंजीकृत है, जिसमें वर्तमान प्रार्थी अवनीश कुमार सहित अन्य व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। जांच आख्या में यह भी उल्लेखित है कि विवाद सिंचाई के पानी के कारण हुआ था। इस तरह से

यह निर्विवाद है कि दोनों पक्षों के मध्य उक्त दिनांक को घटना घटित हुई थी।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि थाना पुलिस द्वारा विपक्षी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, तथापि इससे आवेदक द्वारा लगाए गए आरोप स्वतः निरस्त नहीं हो जाते। यदि एक ही घटना में दोनों पक्षों द्वारा एक–दूसरे के विरुद्ध संज्ञेय अपराध किए जाने का आरोप है तो प्रत्येक पक्ष की सूचना का विधिसम्मत पंजीकरण एवं निष्पक्ष विवेचना किया जाना आवश्यक है। पुलिस द्वारा केवल एक पक्ष की सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर दूसरे पक्ष के आरोपों की उपेक्षा करना विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh, (2014) 2 SCC 1 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण अनिवार्य है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक एवं विधिक विश्लेषण के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थना–पत्र में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित होना पाया जा रहा है तथा प्रार्थनापत्र में वर्णित संज्ञेय अपराध के बावत प्रथम सूचना दर्ज कर पुलिस द्वारा विवेचना कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। इस तरह से आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० **स्वीकार** किये जाने योग्य है।

आदेश

6. आवेदक अवनीश कुमार का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० **स्वीकार** किया जाता है। तद्नुसार थानाध्यक्ष, कमालगंज को निर्देशित किया जाता है कि वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर विधिनुसार अविलम्ब/तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत कर सम्बन्धित क्षेत्राधिकार वाले विवेचक से मामलें की नियमानुसार निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं प्रभावी विवेचना कराना सुनिश्चित करें तथा दौरान विवेचना उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का संकलन कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अनुरूप आवश्यक विधिक कार्यवाही करे।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सत्यापित प्रति, प्रार्थना–पत्र एवं संलग्न अभिलेख तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष कमालगंज को प्रेषित करें।

दिनांक: 16.07.2026

(**तरूण कुमार सिंह– ।**)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 02/
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)
फर्रूखाबाद